UPAZ010016782026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।

उपस्थितः जय प्रकाश पाण्डेय, एच०जे०एस० (J.O. Code U.P.6082)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-893/2026

शाकिब उम्र लगभग 24 वर्ष, पुत्र आसिफ निवासी पाती बुजुर्ग थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़। **.............आवेदक/अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार **.............विपक्षी/अभियोगी।**

दिनांक-24.03.2026

1- प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा **483 बी.एन.एस.एस.** आवेदक/अभियुक्त **शाकिब** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-**42/2026,** अन्तर्गत धारा**- 108 बी.एन.एस.** थाना **बिलरियागंज**, जनपद **आजमगढ़** के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त कारागार में निरुद्ध है।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह कथन किया गया है कि उन्हें जमानत प्रार्थनापत्र पर बल नहीं देना है। उनके द्वारा आधार जमानत प्रार्थनापत्र पर इस बावत अंकन किया गया है तथा अपना सूक्ष्म हस्ताक्षर बनाया गया है। चूंकि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को जमानत प्रार्थनापत्र पर बल नहीं देना है, ऐसी दशा में जमानत प्रार्थना पत्र आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

3. तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है।

दिनांक- 24.03.2026

(जय प्रकाश पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
आजमगढ़।

Digitally signed by JAI PRAKASH PANDEY
Date: 2026.03.24 15:58:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court